

वैदिककालीन संस्कृत शिक्षा की प्रमुख विशेषतायें

*आदर्श तिवारी **एवं प्रो० दान पति तिवारी

*शोधछात्र –संस्कृत ** एवं ** शोध पर्यवेक्षक
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

वैदिक शिक्षा के आदर्शों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तत्कालीन ब्राह्मणों, शिक्षकों ने जिस वैदिक शिक्षा प्रणाली का विकास किया उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए डा० एफ०ई० केई ने लिखा है—“ब्राह्मण शिक्षकों ने जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया वह न केवल साम्राज्यों के पतन और समाज के परिवर्तन से अप्रभावित रही, वरन् उसने हजारों वर्ष तक उच्च शिक्षा की ज्योति को प्रज्ज्वलित रखा।”

वैदिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं—

1. **विद्यारम्भ संस्कार**—यह संस्कार उस समय होता था जब बालक प्राथमिक शिक्षा आरम्भ करता था। कुछ विद्वानों ने ‘अक्षरस्वीकरण’ शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि इस संस्कार के समय बालक को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। बालक पहले सरस्वती, गणेश और अपने परिवार के देवताओं की उपासना करता था इसके बाद गुरु उनसे वर्ण माला के अक्षरों को लिखवाता था। इस संस्कार के विषय में डा० वेद मित्र ने लिखा है—“यह संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था और साधारणतः सब जातियों के बालकों के लिये था।”
2. **उपनयन संस्कार**—यह संस्कार उस समय होता था जब बालक गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा आरम्भ करता था। ‘उपनयन’ का शाब्दिक अर्थ है— **‘पास ले जाना’**। बालक को वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाया जाता था। वैदिक काल में कोई बालक बिना उपनयन संस्कार के वैदिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था।
3. **समावर्तन संस्कार**— यह संस्कार उस समय होता था जब छात्र अपनी वैदिक शिक्षा समाप्त कर लेता था। ‘समावर्तन’ शब्द का शाब्दिक अर्थ है— **‘घर लौटना’**। यह संस्कार 25 वर्ष की आयु में होता था जब छात्र गुरु गृह से लौट कर घर जाता था और ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था।
4. **शिक्षण संस्थाओं में गुरुकुल**—वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी।

गुरुकुलों की स्थिति—प्रारम्भिक वैदिक काल में गुरुकुल कोलाहल से दूर किसी सुन्दर प्राकृतिक स्थान पर सामान्यतः किसी ग्राम या नगर के निकट होते थे ताकि छात्रों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा भिक्षाटन की सुविधा रहे। छात्र अपने गुरु के पास उसके कुल के सदस्य के रूप में रहकर ज्ञानार्जन करते थे और उससे वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त करते थे। वे गुरु के उच्च विचारों, आदर्शों का अनुकरण अपने श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करते थे।

जिन गुरुकुलों में केवल भाषा और साहित्य की उच्च शिक्षा दी जाती थी उन्हें **टोल** कहते थे, जिनमें भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन और नीतिशास्त्र का विशेष ज्ञान कराया जाता था उन्हें **घटिका** कहते

थे, जिनमें किसी वेद के किसी अंग विशेष का विशिष्ट ज्ञान कराया जाता था उन्हें **चरण** कहते थे और जिनमें चारों शास्त्रों (दर्शन, पुराण, व्याकरण, व राजनियम) की शिक्षा दी जाती थी उन्हें **चतुष्पदी** कहते थे।

गुरुकुलों की दिनचर्या—वैदिक काल में गुरुकुलों की दिनचर्या बड़ी नियमित एवं कठोर होती थी। गुरु और शिष्य दोनों प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में उठते थे, नित्य कर्म से निवृत्त हो कार्य विभाजन के अनुसार गुरु के स्नानादि एवं पूजा-पाठ की व्यवस्था करते थे। गुरु गृह तथा गुरु कुल की व्यवस्था करते थे, भिक्षाटन के लिए जाते थे, जंगल से लकड़ी लाते थे और अन्य कार्य करते थे।

भवन की स्थिति—वैदिक काल में गुरुकुलों में आज की भांति शिक्षण कक्ष उपलब्ध नहीं थे। शिक्षण कार्य खुले मैदानों में, पेड़ों की छाया में होता था। जहाँ तक देवालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रश्न है, वहाँ उनके लिए भव्य और विशाल भवन थे।

5. **प्रकृति से सम्पर्क**—सुरम्य दृश्यों से आवृत इन गुरुकुलों में छात्र अपने जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत करते थे। अतः उनका प्रकृति से प्रत्यक्ष सम्पर्क रहता था। जिसका उनके मानसिक व शारीरिक विकास पर अत्यन्त स्वस्थ प्रभाव पड़ता था। इन गुरुकुलों के संदर्भ में रवीन्द्र नाथ टैगोर ने कहा है “भारत के वनों में सभ्यता की जो धारा प्रवाहित हुई उसने सम्पूर्ण भारत को आप्लावित किया है।”

6. **वैदिक शिक्षा आरम्भ करने की आयु**—वैदिक शिक्षा उपनयन संस्कार के बाद आरम्भ होती थी। अतः उसे आरम्भ करने की आयु 8 या 12 वर्ष के बीच मानी जाती थी। मनु के अनुसार—उपनयन संस्कार 8, 11 और 12 वर्ष तक हो जाना चाहिए। जिस प्रकार वैदिक शिक्षा आरम्भ करने के लिए उपनयन संस्कार अनिवार्य था उसी प्रकार सैनिक शिक्षा, औषधि शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए भी था।

7. **अध्ययन की अवधि**—वैदिक काल में अध्ययन की अवधि 12 वर्ष तक होती थी। इस अवधि में छात्र केवल एक वेद का अध्ययन कर सकते थे। प्रत्येक वेद के अध्ययन हेतु 12 वर्ष का समय निर्धारित था। 12, 24, 26 तथा 48 वर्ष तक अध्ययन करने वाले छात्र क्रमशः स्नातक, बसु, रुद्र, और आदित्य कहलाते थे। साहित्य एवं अर्थशास्त्र के अध्ययन की अवधि 10 वर्ष थी।

8. **शिक्षा सत्र व छुट्टियाँ**— शिक्षा सत्र श्रावण मास की पूर्णिमा को ‘श्रावणी’ समारोह से आरम्भ होता था और पौष मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह के साथ समाप्त होता था। इस प्रकार शिक्षा—सत्र केवल पाँच माह का होता था। आधुनिक समय के समान वैदिक काल में भी शिक्षा—संस्थाओं में छुट्टियाँ होती थी। अधिक आयु के छात्रों की अपेक्षा कम आयु वाले छात्रों को अधिक छुट्टियाँ मिलती थी। प्रत्येक माह में एक—एक सप्ताह के अन्तर से चार छुट्टियाँ मिलती थी।

9. **निःशुल्क व सार्वभौमिक शिक्षा**—वैदिक काल में शिक्षा निःशुल्क थी किन्तु शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् प्रत्येक छात्र अपने गुरु को दक्षिणा अवश्य देता था। वह दक्षिणा के रूप में धन, भूमि, पशु, अन्य कुछ भी दे सकता था। निःशुल्क होने के कारण शिक्षा सार्वभौमिक थी। कुछ विद्वानों का विचार है कि शिक्षा अनिवार्य थी। मनु का कथन है—“राज्य व समाज को 5 वर्ष के पश्चात् बालकों और बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य बना देता चाहिए और जो व्यक्ति अपने बच्चों को इन आयु के पश्चात् घर पर रखे, उसको दण्ड दिया जाना चाहिए।”

10. **शिक्षा की पद्धति**—शिक्षा की पद्धति को वैयक्तिक बताते हुए गन्नार मिरडल ने लिखा है—“हिन्दू धर्म की सीमा के अन्तर्गत शिक्षा की पद्धति वैयक्तिक थी क्योंकि प्रत्येक गुरु के अपने स्वयं के शिष्य होते थे।”

11. **शिक्षण समय**—वैदिक काल में पुस्तकें मुद्रित नहीं थी, अतः पठन—पाठन का कार्य गुरु की उपस्थिति में ही होता था। इसलिए शिक्षण के लिए समय का अनुमान लगाना कठिन है। फिर भी विभिन्न विद्वानों के अनुमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षण प्रातः काल से दोपहर तक फिर भोजन तथा विश्राम के पश्चात् सांयकाल तक होता था।

12. **कक्षा नायकीय पद्धति**—वैदिक कालीन शिक्षा की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता नायकीय पद्धति थी। इस पद्धति में उच्च कक्षाओं के बुद्धिमान छात्र जिनको 'नायक' कहा जाता था, निम्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाते भी थे। इस प्रकार गुरु के शिक्षण कार्य में सहयोग प्रदान करते थे। इस पद्धति से जहाँ तक एक ओर शिक्षक की अनुपस्थिति में भी शिक्षण कार्य चलता रहता था दूसरी ओर कक्षा—नायक भी कुछ समय के बाद शिक्षण कार्य में प्रशिक्षित हो जाते थे।

अंग्रेज शिक्षाविद् बोल और लेंकास्टर ने भारत की कक्षा, नायकीय पद्धति से प्रभावित होकर, उसका अपने देश में सूत्रपात किया, पर वे इस पद्धति को आदर्श रूप न दे सके। इस सन्दर्भ में डा० एक० ई० केई ने लिखा है "बोल और लेंकास्टर की कक्षा नायकीय पद्धति भारतीय आदर्श का केवल विकृत रूप है।"

13. **छात्र जीवन सम्बन्धी नियम**—वैदिक काल में छात्र—जीवन के सम्बन्ध में अनेक नियम थे जिनका पालन अनिवार्य था। यथा—

(i) **आदतें**—धनी, निर्धन, उच्च और निम्न सभी परिवारों के छात्रों को सरल जीवन व्यतीत करना पड़ता था। राज परिवारों के छात्रों को उन कठिनाइयों का समाना करना पड़ता था, जिनका सामना उनके निर्धन सहपाठी करते थे।

रामायण और महाभारत में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं।

(ii) **दिनचर्या**—छात्रों को ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर सन्ध्या, हवन आदि विभिन्न कार्य करने पड़ते थे। इसके पश्चात् पुराने पाठों को दोहराते थे और नये पाठ की तैयारी करते थे। मध्याह्न में भोजन का, अवकाश मिलता था। उसके पश्चात् वे फिर विद्याध्ययन में संलग्न हो जाते थे। सूर्य अस्त होने के समय वे भजन—पूजा करने के पश्चात् भोजन ग्रहण करते थे।

(iii) **खान—पान**—छात्र दिन में केवल दो बार भोजन कर सकते थे। मध्याह्न के समय और सांयकाल के समय। उन्हें कम भोजन करने का आदेश था ताकि उनकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा न पड़े और वे रोगग्रस्त न हों। माँस, मदिरा, मधु, मादक वस्तुओं और पान का प्रयोग नहीं कर सकते थे।

(iv) **वेश—भूषा**—विभिन्न जातियों के छात्रों की वेशभूषा विभिन्न थी। प्रत्येक छात्र को मेखला धारण करना अनिवार्य था। ब्राह्मण मूज की क्षत्रिय तौत की और वैश्य ऊन की मेखला धारण करते थे। वे अपने शरीर के निम्न भाग को क्रमशः काले मृग, चित्तीदार मृग और बकरे की खाल से ढकते थे। प्रत्येक छात्र को यज्ञोपवीत धारण करना अनिवार्य था।

(v) **आचार व्यवहार**—वैदिक काल में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता था कि छात्रों का आचार और व्यवहार उत्कृष्ट हो। उन्हें मर्यादा, शिष्टाचार और आत्म संयम के नियमों का अनुकरण करने का आदेश दिया जाता था। वे काम, क्रोध, मद, लोभ और दूषित विचारों से मुक्त रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे।

(vi) **गुरु-शिष्य सम्बन्ध**— वैदिक कालीन शिक्षा की सम्भवतः सर्वश्रेष्ठ विशेषता गुरु-शिष्य सम्बन्ध की थी। छात्र अपने शिक्षक का हृदय से सम्मान करते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। वे अपने गुरु के स्थान को राजा, माता-पिता और देवता से किसी भी प्रकार निम्नतर नहीं मानते थे। वे अपने आचार्य की सेवा करना अपना प्रथम कर्तव्य मानते थे।

गुरु परस्पर स्नेह, सम्मान, विश्वास और कर्तव्य की भावनाओं से संयुक्त थे। दोनों के जीवन का लक्ष्य एक ही था—ज्ञान का संरक्षण एवं संवर्धन करना और जीवन एवं आचरण में उसके महत्व को सिद्ध करना। डा० ए०एस० अल्टेकर के शब्दों में “शिक्षक एवं छात्र के सम्बन्ध स्नेहपूर्ण तथा घनिष्ठ थे और उनके भावी जीवन में भी बने रहते थे”।

14. **दण्ड**—वैदिक काल में छात्रों को दण्ड देने की प्रथा थी। दण्ड के रूप में—समझाना, बुझाना, आदेश, उपवास आदि थे। विशेष परिस्थितियों में शारीरिक दण्ड दिया जाता था। उस काल में मनु, गौतम और विष्णु शर्मा तो शारीरिक पक्ष में नहीं थे किन्तु याज्ञवल्क्य ने कुछ विशेष परिस्थितियों में शारीरिक दण्ड देने के लिए स्वीकृति अवश्य दी थी।

15. **वाह्य नियंत्रण से मुक्ति**— वैदिक शिक्षा वाह्य नियंत्रण से मुक्त थी। राज्य सरकार या कोई राजनैतिक दल उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। डा० पी०एन०प्रभु के अनुसार “प्राचीन भारत में शिक्षा—राज्य, सरकार या किसी दलबन्दी के किसी भी प्रकार के वाह्य नियन्त्रण से मुक्त थी।

निष्कर्ष—

वैदिक शिक्षा प्रणाली में अनेक ऐसे तत्व हैं जिन्हें सिद्धान्त एवं व्यवहार दोनों दृष्टियों से आधुनिक शिक्षा में स्थान देना प्रासांगिक है। वैदिक शिक्षा प्रणाली वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव है। उसी के आधार पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है। वैदिक शिक्षा पूर्णरूपेण संस्कृति से अलग नहीं हो सकते। आज भी हमारी शिक्षा के वही उद्देश्य हैं जो वैदिक काल में थे। वैदिक काल की भाँति हम आज भी समस्त ज्ञानविज्ञान, कौशल और तकनीकी को शिक्षा की पाठ्यचर्या में सम्मिलित करते हैं। आज भी हम शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। शिक्षण संस्थाओं में उत्पन्न विकृतियों को दूर कर हम उन्हें आदर्श शिक्षा केन्द्रों के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इस बात की प्रबल आवश्यकता महसूस की जा रही है कि शिक्षक छात्रों के प्रति पूर्ण समर्पित हो वहीं छात्रों में शिक्षकों के प्रति अगाध श्रद्धा हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

ऐतरेय उपनिषद	:	गीता प्रेस गोरखपुर, 1930
महाभारत	:	गीता प्रेस गोरखपुर, 1956-60
रामायण बाल्मीकी	:	गीता प्रेस गोरखपुर, 1963
शतपथ ब्राह्मण	:	ए बेबर द्वारा सम्पादित लन्दन, 1885
अल्टेकर, ए०एस०	:	एजुकेशन इन एशिएन्ट इण्डिया, द इण्डियन बुक शॉप, बनारस, 1934, तृतीय संस्करण, 1948, पोजीशन ऑफ वूमेन इन हिन्दू सिवालाइजेन काशी 1938।
इलियट एण्ड डाउसन	:	हिस्ट्री आफ इण्डिया ऐज टोल्ड बाई इट्स आन

- हिस्ट्री-रियेन्स, भाग-8 कलकत्ता, 1932
- केई, एफ0ई0 : भारतीय शिक्षा एवं उसकी समस्याएं आगरा प्रकाशन
- थापर, रोमिला : भारत का इतिहास, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, 1988
- दास एस0के0 : दि एजुकेशनल सिस्टम आफ ऐशियन्ट हिन्दूज दि मित्रा प्रेस, कलकत्ता, 1930।
- दीक्षित उपेन्द्रनाथ : भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्यायें राजस्थान बुक स्टोर्स उदयपुर, 1985
- पाठक पी0डी0 : भारतीय शिक्षा एवं उसकी समस्यायें, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 1974।
- पाण्डेय, राम सकल : शिक्षा की दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय पृष्ठभूमि, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1986
- मजूमदार, एन0एम0 : ए हिस्ट्री आफ एजुकेशन इन ऐशिएन्ट इण्डिया, कलकत्ता, 1916
- शर्मा, एल0पी0 : मध्य कालीन आगरा-3, 2002
- श्रीवास्तव, के0सी0 : प्राचीन भरत का इतिहास युनाईटेड बुक डिपो इलाहाबाद-1993
- लाल रमन बिहारी : भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्यायें मेरठ, 2001
-